न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढ़ी।

विचारण संख्या– 72/2026 + 67/2026

सी0आई0एस0 नं0– 34/2020

बिहार सरकार द्वारा सूचक राम कृपाल महतो ....अभियोजन

बनाम्

राजेन्द्र महतो एवं अन्य ....अभियुक्तगण

परिशिष्ट–'ए'

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

उपस्थितः अशोक कुमार मांझी,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

निर्णय की तिथि

27वीं जुलाई, 2026.

(विचारण संख्या– 72/2026 + 67/2026, सी0आई0एस0 नं0– 34/2020)

प्राथमिकी/अपराध एवं थाना का पूर्ण विवरणः–

बाजपट्टी थाना कांड संख्या– 73/2019

परिवादी/सूचक	बिहार सरकार द्वारा राम कृपाल महतो, पिता–स्व0 सुकन महतो, ग्राम–बाचोपट्टी नरहा टोले बाबू नरहा, थाना–बाजपट्टी, जिला–सीतामढ़ी।
प्रस्तुतकर्त्ताः–	श्रीमति गिरिजा वर्मा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो।

अभियुक्तगणः–
1. राजेन्द्र महतो, उम्र–75 वर्ष, पिता–स्व0 राजकुमार महतो
2. राजीव महतो, उम्र–41 वर्ष, पिता–राजेन्द्र महतो
3. अखलेश महतो, उम्र–30 वर्ष, पिता–राजेन्द्र महतो
4. गणेश महतो, उम्र–31 वर्ष, पिता–राजेन्द्र महतो
5. मिथलेश देवी, उम्र–69 वर्ष, पति–राजेन्द्र महतो
6. रिंकू देवी, उम्र–39 वर्ष, पति–राजीव महतो
7. कमलेश महतो, उम्र–26 वर्ष, पिता–राजेन्द्र महतो

साकिनान–बाचोपट्टी नरहा, थाना–बाजपट्टी, जिला–सीतामढ़ी।

प्रस्तुतकर्त्ताः–	श्री अभिषेक कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

Ashok Kumar Manjhi
27/07/26

परिशिष्ट–'बी'

अपराध का दिनांक	07.03.2019
प्राथमिकी का दिनांक	10.03.2019
आरोप पत्र समर्पित का दिनांक	23.09.2019
आरोप गठन का दिनांक	27.01.2023 & 02.06.2026
साक्ष्य आरम्भ होने का दिनांक	14.02.2023 & 09.06.2026
निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक	27.07.2026
निर्णय का दिनांक	27.07.2026
सजा के बिन्दु पर सुनवाई का दिनांक यदि कोई हो	कोई नहीं

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तों का कमांक	अभियुक्तों का नाम	गिरफ्तार/उपस्थित होने का दिनांक	जमानत पर छूटने का दिनांक	आरोप अंतर्गत	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्ध	सजा जो प्रदान की गई है	दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य से, विचारण के दौरान गुजारी गई निरोध की अवधि
ए 1.	राजेन्द्र महतो	26.07.2019	26.10.2019	धारा 363/34, 366–ए/34 भा0द0वि0।	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं
ए 2.	राजीव महतो	–––––	08.08.2019	धारा 363/34, 366–ए/34 भा0द0वि0।	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं
ए 3.	अखलेश महतो	–––––	09.08.2019	धारा 363/34, 366–ए/34 भा0द0वि0।	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं

Ashok Kumar
27/07/26

ए 4.	गणेश महतो	------	26.10.2019	धारा 363/34, 366–ए/34 भा0द0वि0।	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं
ए 5.	मिथलेश देवी	------	08.08.2019	धारा 363/34, 366–ए/34 भा0द0वि0।	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं
ए 6.	रिंकू देवी	------	08.08.2019	धारा 363/34, 366–ए/34 भा0द0वि0।	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं
ए 7.	कमलेश महतो	08.05.2025	01.07.2025	धारा 366–ए भा0द0वि0 एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम।	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं

परिशिष्ट–सी

अभियोजन साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
		प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 1	निर्मला देवी	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 1–1	राम चन्द्र महतो	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 2	जगतारण देवी	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 3	पीड़िता	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

Ashok Kumar Manjhi
27/07/26

'बी'.प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
1.	कोई नहीं	कोई नहीं

'सी'. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं	कोई नहीं	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

'ए' अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श–

कमांक	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्श–1	द0प्र0सं0 की धारा 164 के बयान पर पीड़िता का हस्ताक्षर।
2.	प्रदर्श–X	पीड़िता का विधालय के द्वारा जारी परिचय पत्र।

'बी'. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रदर्श–

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

'सी'. न्यायालय की ओर से प्रदर्श – यदि कोई हो

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

सामग्री वस्तु प्रदर्श यदि कोई हो– यदि कोई हो

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

Ashok Kumar Manjhi
27/07/26

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण **1. कमलेश महतो** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 366–ए, एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम **एवं 2. राजेन्द्र महतो 3. राजीव महतो 4. अखलेश महतो 5. गणेश महतो 6. मिथलेश देवी 7. रिंकू देवी** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 363/34, 366–ए/34 के अन्तर्गत ग्राम–बाचोपट्टी नरहा टोले बाबू नरहा, थाना–बाजपट्टी, जिला–सीतामढी में दिनांक–07.03.2019 को कारित अपराध के लिए किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षेप में वाद सूचक राम कृपाल महतो के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि दिनांक–07.03.2019 को संध्या 07:00 बजे मेरी पुत्री पीड़िता उम्र–15 वर्ष शौच के लिए घर से निकली, जब काफी देर हो जाने के बाद घर वापस नहीं आयी तो खोजबीन शुरू किया। खोजबीन के कम में पता चला कि 1. कमलेश महतो 2. राजेन्द्र महतो 3. राजीव महतो 4. रिंकू देवी 5. मिथलेश देवी 6. अखलेश महतो 7. गणेश महतो सभी लोग मिलकर मेरी पुत्री पीड़िता को बहला–फुसला कर शादी करने के नियत से अपहरण कर लिया है।

3. सूचक के उपरोक्त लिखित आवेदन के आधार पर बाजपट्टी थाना कांड संख्या–73/2019 दिनांक–10.03.2019 अन्तर्गत धारा 366–ए/34, भा0द0वि0 प्राथमिकी में नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4. अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्त्ता ने घटना को सत्य पाकर अभियुक्तगण **1. राजेन्द्र महतो 2. राजीव महतो 3. अखलेश महतो 4. गणेश महतो 5. मिथलेश देवी 6. रिंकू देवी 7. कमलेश महतो** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 363, 366–ए/34 में आरोप पत्र समर्पित किया। तत्पश्चात् अभियुक्तगण **1. राजेन्द्र महतो 2. राजीव महतो 3. अखलेश महतो 4. गणेश महतो 5. मिथलेश देवी 6. रिंकू देवी 7. कमलेश महतो** के विरूद्व उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत संज्ञान लिया गया।

5. इस वाद के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रस्तुत वाद विद्वान अपर सत्र न्यायालय–XV से स्थानांनतरण पर इस न्यायालय मे प्राप्त हुआ है एवं विचारण संख्या 72/2026 अंकित किया गया।

6. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण **1. कमलेश महतो** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 366–ए, एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं **2. राजेन्द्र महतो 3. राजीव महतो 4. अखलेश महतो 5. गणेश महतो 6. मिथलेश देवी 7. रिंकू देवी** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 363/34, 366–ए/34 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग किया।

Ashok Kumar Manjhi
27/07/26

इस वाद में एक पृथक वाद पूर्व मे लंबित था। इस मूल वाद में छः अभियुक्तगण थे जबकि पृथक वाद मे एक मात्र अभियुक्त थे। पृथक वाद विचारण संख्या–67/2026 में पारित आदेश दिनांक–08.07.2026 के आलोक मे उक्त पृथक वाद जिसमे एक मात्र अभियुक्त कमलेश महतो का विचारण चल रहा था को इस विचारण संख्या–72/2026 मे समायोजीत किया गया, इस प्रकार अब इस मूल वाद मे कुल सात अभियुक्तगण का विचारण होगा। दोनो विचारण वाद इस निर्णय से निष्पादित किया जा रहा है। उपरोक्त नामित अभियुक्तगण **1. कमलेश महतो** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 366–ए, एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं **2. राजेन्द्र महतो 3. राजीव महतो 4. अखलेश महतो 5. गणेश महतो 6. मिथलेश देवी 7. रिंकू देवी** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 363/34, 366–ए/34 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग किया।

7. अभियुक्तगण का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत बयान अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने आरोपों को गलत बताया एवं अपने को निर्दोष बताया।

विचारणीय बिन्दू

8. इस न्यायालय के समक्ष अब विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को युक्ति युक्त संदेहों से परे साबित करने से सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतव्य

9. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये आरोपों को साबित करने मे कुल 04 साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत कराया गया है। जिसमे **अभियोजन साक्षी संख्या–1–1 पक्षद्रोही साक्षी** है। **अभियोजन साक्षी संख्या–1 निर्मला देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–2 जगतारण देवी, एवं अभियोजन साक्षी संख्या–3 पीड़िता** है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पी–1 द0प्र0सं0 की धारा 164 के बयान पर पीड़िता का हस्ताक्षर, पी–X पीड़िता का विधालय के द्वारा जारी परिचय पत्र प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष ने अपने उपर लगे आरोपों को गलत साबित करने के लिए न तो कोई मौखिक साक्ष्य और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

न्यायालय, श्री अशोक कुमार मांझी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्
–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।
विचारण संख्या– 72/2026 + 67/2026, सी0आई0एस0 नं0– 34/2020
बाजपट्टी थाना कांड संख्या– 73/2019
निर्णय की तिथि– 27वीं जुलाई, 2026.
राज्य द्वारा (बिहार सरकार) बनाम राजेन्द्र महतो एवं अन्य (अभियुक्तगण)

विनिश्चय एवं विनिश्चय के कारण

10. **अभियोजन साक्षी संख्या–1 निर्मला देवी** है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि कविता कुमारी मेरी जैदी है। राजेन्द्र महतो का बेटा के साथ कविता का मन मिलता था। इसी कारण उसके साथ चली गयी। आज तक वह लौंटकर नही आयी। राजेन्द्र महतो, गणेश महतो, रिंकू देवी, अखिलेश महतो, राजीव महतो, मिथलेश देवी मेरे गांव के है, इसलिए पहचानती हूं। उपरोक्त लोग आज न्यायालय में नहीं आए है।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि कमलेश महतो के अलावे इस घटना में उसके परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं है, मुझे इसकी जानकारी है। इस केस के सभी छः अभियुक्तगण दोषी नहीं है। पुलिस मुझसे कभी बयान नहीं लिया था। इस केस के सभी छः मुदालहगण हमेशा घर पर हीं रहता था कभी कहीं नहीं गया है। कमलेश महतो को अपने घर के किसी आदमी से कोई माने मतलब नहीं है और न कहने में है।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या–2 जगतारण देवी** है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि यह मुकदमा मेरे पति ने अपने नाबालिग पुत्री पीड़िता के अपहरण को लेकर कमलेश महतो, राजेन्द्र महतो, राजिव महतो, टिंकु देवी, मिथलेश देवी, अखिलेश महतो और गणेश महतो कुल आठ लोगों के विरूद्व किये है। यह घटना आज से 5–6 साल पूर्व की है, बारह–एक बजे दिन की है। घटना के समय मैं और मेरे पति घर पर नहीं थे। उपरोक्त सभी लोगों ने मेरी नाबालिग बेटी पीड़िता को लेकर भाग गये थे। घटना के समय मेरी बेटी पीड़िता की उम्र–18 वर्ष थी। खोजबीन किये लेकिन पीड़िता नहीं मिली। उसके बाद मेरे पति ने थाने पर जाकर यह मुकदमा किये थे। केस करने के 5–6 साल के बाद पीड़िता स्वयं घर पर आई थी, पुलिस पीड़िता को बरामद किया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मेरी बेटी पीड़िता को पुलिस बयान कराने के लिए न्यायालय लाई थी। न्यायालय मे बयान के बाद पीड़िता अभियुक्त के साथ चली गई थी। वर्तमान मे पीड़िता अभियुक्त के घर पर है। इस केस के सूचक मेरे पति की मृत्यु हो गई है। आज न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त कमलेश महतो को देखकर पहचानती हूं।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मेरी बेटी पीड़िता को कोई अपहरण करके नहीं ले गया था। जिस समय मेरी बेटी अभियुक्त कमलेश महतो के साथ गई थी, वह उस समय पूर्ण रूप से बालिग थी और पीड़िता की उम्र–20 वर्ष थी। वर्तमान मे मेरी बेटी पीड़िता को दो बच्चें है, एक लड़का और एक लड़की है। मेरी बेटी को अपने ससुराल में अपने पति और उसके घर वालों से कोई शिकायत नहीं है। मेरी बेटी अपने ससुराल मे खुशीपूर्वक रह रहीं है। मैं यह मुकदमा को आगे नहीं लड़ना चाहती हूं और ना ही कोई गवाही इस केस मे कराना चाहती हूं। मेरे पति ने गांव के लोगों कहने पर और बहकावे मे आकर यह मुकदमा कर दिए थे। यह केस गांव के लोगों के द्वारा लिखा गया था। मेरे पति

पढ़े–लिखे नहीं थे, उन्होने सिर्फ आवेदन पर अंगुठे का निशान लगाया था, आवेदन मे क्या लिखा गया था मेरे पति को पढ़कर नहीं सुनाया और समझाया गया था। मैं अपनी मर्जी से इस केस मे अभियुक्त के साथ सुलह–सलाह कर ली हूं और सुलहनाम, इजाजतनाम को न्यायालय मे दाखिल की हूं। मैं अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी न्यायालय मे दाखिल की हूं। यह मुकदमा समाप्त हो जाए इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

12. **अभियोजन साक्षी संख्या–3 पीड़िता** है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि मैं इस कांड की पीड़िता हूं। यह मुकदमा मेरे अपहरण को लेकर मेरे पिता जी ने किये थे। घटना के समय मेरी उम्र–20 वर्ष थी। यह घटना वर्ष–2019 की है, दिन के बारह–एक बजे की है। उस समय मैं अपने पति पवन महतो के साथ थी। घर पर नहीं मिलने के बाद मेरे पिता जी ने यह केस किये थे। केस दर्ज होने एक महीने के बाद मैं स्वयं घर पर आई थी। पुलिस मुझे बयान कराने हेतु न्यायालय लाई थी। न्यायालय में द0प्र0सं0 की धारा 164 का बयान दी थी, जिस पर मैं हस्ताक्षर की थी, जिसे पहचानती हूँ, इसे प्रदर्श **P-1/PW1** अंकित किया जाता है। न्यायालय मे बयान के बाद मैं अपने पति के पास चली गई थी। वर्तमान मे मैं अपने पति के साथ रह रही हूं। मेरा राजकिय मध्य विधालय के द्वारा जारी परिचय पत्र की छायाप्रति है, जिसमे मेरी जन्म तिथि 05.06.2002 अंकित है, जिसे पहचानती हूं, इसे प्रदर्श **P-X/PW1** अंकित किया जाता है। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त कमलेश कुमार उर्फ पवन और राजिव महतो को देखकर पहचानती हूं एवं अन्य अभियुक्तों जो आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है, उसे भी पहचानती हूं।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मेरा किसी ने कोई अपहरण नहीं किया था। मेरे पिता जी ने गलतफहमी मे यह मुकदमा कर दिये थे। मैं अपनी मर्जी से कमलेश उर्फ पवन से शादी की थी, उस समय मेरी उम्र–20 वर्ष थी। मुझे इस शादी से दो बच्चें है, जिसमे बड़े की उम्र–6 वर्ष एवं छोटे की उम्र–3 वर्ष है। मुझे पति सादर सम्मान के साथ रखते है। मुझे किसी अभियुक्त से कोई शिकायत नहीं है। इस वाद के सूचक रामकृपाल महतो की मृत्यु हो चुकी है।

Ashok Kumar Manjhi
27/07/26

13. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। कोई अपहरण या बहला फुसलाकर नहीं ले गया था। किसी भी अभियोजन साक्षी ने मौखिकिय या दस्तावेजिक रूप से घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्तगण निर्दोष है और अभियुक्तगण को इस वाद में गलत फंसाया गया है। अतः अभियुक्तगण को रिहा किया जाय।

14. अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि इस वाद में अभियोजन की ओर से कुल 04 अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। जिसमे **अभियोजन साक्षी संख्या–1–1** पक्षद्रोही साक्षी है। **अभियोजन साक्षी संख्या–1 निर्मला देवी** है। यह अपने मुख्य परीक्षण मे कहती हैं कि पीड़िता मेरी जैदी है। प्रति–परीक्षण के कंडिका 2 कमलेश महतो के अलावे इस घ टना में उसके परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं है, मुझे जानकारी है। कंडिका 4 पुलिस

मुझसे कभी बयान नहीं लिया था। इस केस के सभी छः मुदालहगण हमेशा घर पर ही रहते है। मैं इस केस की पीड़िता हूं। **अभियोजन साक्षी संख्या–2 जगतारण देवी** है। यह अपने मुख्य–परीक्षण मे कहती है कि इस वाद की पीड़िता मेरी बेटी है। यह केस मेरे पति के द्वारा किया गया है। इस केस के सूचक मेरे पति है, जिसकी मृत्यु हो गई है। प्रति–परीक्षण के कंडिका 3 मेरी बेटी को कोई अपहरण करके नहीं ले गया था। जिस समय मेरी बेटी पीड़िता अभियुक्त कमलेश महतो के साथ शादी की थी, वह उस समय पूर्ण रूप से बालिग थी और पीड़िता की उम्र–20 वर्ष थी। कंडिका 4 वर्तमान में मेरी बेटी पीड़िता को दो बच्चें है, एक लड़का और एक लड़की है। कंडिका 5 मेरी बेटी को अपने ससुराल में अपने पति और उसके घर वालों से कोई शिकायत नहीं है। मेरी बेटी अपने ससुराल मे खुशीपूर्वक रह रहीं है। कंडिका 6 मैं यह मुकदमा को आगे नहीं लड़ना चाहती हूं और ना ही कोई गवाही इस केस में कराना चाहती हूं। कंडिका 7 मेरे पति ने गांव के लोगों के कहने पर और बहकावे मे आकर यह मुकदमा कर दिये थे। यह केस गावं के लोगों के द्वारा लिखा गया था तथा मेरी पति को आवेदन पढ़कर नहीं समझाया गया था। कंडिका 8 मैं अपनी मर्जी से इस केस के अभियुक्त के साथ सुलह–सलाह कर ली हूं और सुलहनामा, इजाजतनामा को न्यायालय मे दाखिल की हूं। मैं अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी न्यायालय में दाखिल की हूं। कंडिका 9 यह मुकदमा समाप्त हो जाए तो इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। **अभियोजन साक्षी संख्या–3 पीड़िता** है। यह अपने मुख्य–परीक्षण मे कहती है कि मैं इस कांड की पीड़िता हूं। यह मुकदमा मेरे अपहरण को लेकर मेरे पिता जी के द्वारा किया गया था। मैं न्यायालय में द0प्र0सं0 की धारा 164 का बयान दी थी, जिस पर मैं हस्ताक्षर की थी, जिसे पहचानती हूं, इसे प्रदर्श **P-1/PW3** अंकित किया जाता है। यह मेरा राजकिय मध्य विधालय के द्वारा जारी परिचय पत्र का की छायाप्रति है, जिस पर मेरी जन्म तिथि–05.06.2002 अंकित है, जिसे पहचानती हूं, इसे प्रदर्श **P-X/PW3** अंकित किया जाता है। वर्तमान मे मै अपनी पति के साथ रह रही हूं। प्रति–परीक्षण के कंडिका 3 मेरा किसी ने कोई अपहरण नहीं किया था। कंडिका 4 मेरे पिता जी ने गलतफहमी में यह मुकदमा कर दिये थे। कंडिका 5 मैं अपनी मर्जी से कमलेश उर्फ पवन से शादी की थी, उस समय मेरी उम्र–20 वर्ष थी। मुझे इस शादी से दो बच्चें है, जिसमे बड़े बच्चे की उम्र–6 वर्ष और छोटे बच्चें की उम्र–3 वर्ष है। मुझे पति सादर सम्मान के साथ रखते है। कंडिका 6 मुझे इस केस के किसी अभियुक्त से कोई शिकायत नहीं है। कंडिका 7 इस वाद के सूचक रामकृपाल महतों की मृत्यु हो चुकी है।

इस वाद मे अभियोजन साक्षी पीड़िता जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसका कथन है कि मेरा अपहरण नहीं हुआ था, मै अपनी मर्जी से अभियुक्त कमलेश महतो उर्फ पवन से शादी की थी, उस समय मेरी उम्र–20 वर्ष थी। वर्तमान मे मुझे दो बच्चें है। मेरे पिता जी ने यह केस गलतफहमी कर दिये थे। पीड़िता की मां का कथन है कि मेरी बेटी पीड़िता को कोई अपहरण करके नहीं ले गया था। जिस समय मेरी बेटी अभियुक्त कमलेश महतो के साथ

शादी की थी, वह उस समय पूर्ण रूप से बालिग थी और उसकी उम्र–20 वर्ष थी, मेरी बेटी को अपने पति और उसके घर वालों से कोई शिकायत नहीं है और वह खुशीपूर्वक रही रही है। मेरे पति ने यह केस गांव के लोगों के कहने पर और गलतफहमी मे कर दिये थे। वर्तमान मे मेरे पति जो इस वाद के सूचक है, उनकी मृत्यु हो गई है तथा अभियोजन पक्ष के द्वारा अनुसंधानकर्त्ता को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे घटना संदेहात्मक हो जाता है। अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लाए गए सभी आरोपों से युक्तयुक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः हर दृष्टिकोण से असफल रहे है। परिणामतः

न्यायालय, श्री अशोक कुमार मांझी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्
–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।
विचारण संख्या– 72/2026 + 67/2026, सी0आई0एस0 नं0– 34/2020
बाजपट्टी थाना कांड संख्या– 73/2019
निर्णय की तिथि– 27वीं जुलाई, 2026.
राज्य द्वारा (बिहार सरकार) बनाम राजेन्द्र महतो एवं अन्य (अभियुक्तगण)

आदेश

15. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रदर्शो पर विचार करते हुए न्यायालय इस नतीजे पर पाता है कि अभियोंजन पक्ष के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित किसी भी धारा को युक्तियुक्त संदेहों को पूर्ण करने मे असफल रहें है। अतः अभियुक्तगण **1. कमलेश महतो** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 366–ए, एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं **2. राजेन्द्र महतो 3. राजीव महतो 4. अखलेश महतो 5. गणेश महतो 6. मिथलेश देवी 7. रिंकू देवी** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 363/34, 366–ए/34 से साक्ष्य के अभाव मे संदेहों का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। चुंकि अभियुक्तगण जमानत पर है, अतः उनके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के सभी दायित्वों से उनमुक्त किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि इस वाद के साक्षियों के विरूद्व निर्गत अधिपत्र को बिना तामिला वापस करने हेतु संबंधित थाना को पत्र निर्गत करें एवं अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित, संशोधित, उद्घोषित
Ashok Kumar Manjhi 27/07/26
अशोक कुमार मांझी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
सीतामढ़ी।
दिनांक 27.07.2026

लेखापित
Ashok Kumar 27/07/26
अशोक कुमार मांझी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
सीतामढ़ी।
दिनांक 27.07.2026

1.	Date of Judgement/Order	27-07-2026
2.	Date of Reserving Judgement/Order	27-07-2026
3.	Uploading Date	06-08-2026
4.	Uploaded by	Sri Purnendu Kumar